छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा चतुर्थ सत्र अंक-06

रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2015

(फाल्गुन 20, शक संवत् 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 06, 08 से 12 एवं 14 (कुल 12) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

तारांकित प्रश्न संख्या 04 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री अमित अजीत जोगी के स्थान पर श्री अमरजीत भगत, सदस्य अधिकृत थे।

तारांकित प्रश्न संख्या 07 एवं 13 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: श्री जनकराम वर्मा एवं श्री केशव चंद्रा अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 25 तारांकित एवं 33 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 14 पर चर्चा के दौरान श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने नान घोटाले के संबंध में चर्चा कराने की मांग की।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए।)

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 150 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2014,

(2) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षामंत्री ने पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) की धारा 29 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 (1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014), तथा

(3) श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का सप्तम् वार्षिक प्रतिवेदन 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 **पटल पर रखे।**

4. पृच्छा

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया पत्रों, कागजों का प्रदर्शन और पट्टी बांध कर सदन में आना छत्तीसगढ़ विधान सभा के नियमों एवं प्रक्रिया में संसदीय परंपरा के खिलाफ है। एक बार स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद उसी विषय को पुन: लाना अग्राह्य योग्य है।

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि - इस प्रकार का व्यवहार संसदीय प्रक्रिया के विपरीत है। माननीय सभापति ने प्रतिपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया कि डायरी या जो भी सामग्री यहां प्रदर्शित कर रहें हैं, यह सर्वथा अनुचित है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए।)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने कथन किया कि डायरी में सत्यता है तो प्रतिपक्षके सदस्य सर्टिफाईड कापी पटल पर रखे।

(अत्यधिक व्यवधान होने के कारण सभा की कार्यवाही 12.11 बजे स्थगित की जाकर 12.25 बजे समवेत हुई।)

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने नान घोटाले पर चर्चा की मांग की।

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि - दस्तावेज पटल पर रखने की अनुमति नहीं है और माननीय सदस्य जिस विषय पर चर्चा की मांग कर रहे हैं उसकी कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। सूचना प्राप्त होने पर अन्य तथ्यों और नियमों के तहत देखा जाएगा। माननीय सभापति ने माननीय सदस्यों से कार्यवाही चलाने में सहयोग देने का आग्रह किया।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने डायरी पटल में रखने का अनुरोध किया।

माननीय सभापति ने दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्था की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री अशोक साहू, मोतीराम चंद्रवंशी, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र पण्डरिया, जिला कबीरधाम में गन्ना खरीदी नहीं होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पुन्नूलाल मोहले, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) डॉ. खिलावन साहू
(2) डॉ. विमल चोपड़ा
(3) श्री केशव चंद्रा
(4) श्री सत्यनारायण शर्मा
(5) श्री बृहस्पत सिंह

7. मंत्री का वक्तव्य

श्री राजेश मूणत, लोक निर्माण मंत्री ने दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक 514) के उत्तर में संशोधन के संबंध में वक्तव्य दिया।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2015)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2015) पुर:स्थापित किया।

2. छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 5 सन् 2015)

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 5 सन् 2015) पुर:स्थापित किया।

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि -

(1) भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 8 सन् 2015)

(2) छत्तीसगढ़ विशेष न्यायालय विधेयक, 2015 (क्रमांक 9 सन् 2015)

को स्थायी आदेश क्रमांक 23 (2) एवं 24 तथा विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) को सदन की अनुमति की प्रत्याशा में, शिथिल कर आज पुर:स्थापन की अनुमति प्रदान की है।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

3. भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 8 सन् 2015)

श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 8 सन् 2015) पुर:स्थापित किया।

4. छत्तीसगढ़ विशेष न्यायालय विधेयक, 2015 (क्रमांक 9 सन् 2015)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ विशेष न्यायालय विधेयक, 2015 (क्रमांक 9 सन् 2015) पुर:स्थापित किया।

5. छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 10 सन् 2015)

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 10 सन् 2015) पुर:स्थापित किया।

माननीय सभापति ने सदन की अनुमति से शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु उनके समक्ष अंकित समय निर्धारित किया जो इस प्रकार है :-

			निर्धारित समय
(1)	छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2015)	-	15 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 5 सन् 2015)	-	30 मिनट
(3)	भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 8 सन् 2015)	-	15 मिनट
(4)	छत्तीसगढ़ विशेष न्यायालय विधेयक, 2015 (क्रमांक 9 सन् 2015)	-	1 घंटा
(5)	छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 10 सन् 2015)	-	15 मिनट

9. माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा (क्रमश:)

सर्वश्री लखन देवांगन, लालजीत सिंह राठिया, गोवर्धन सिंह मांझी,

(1.30 से 2.31 बजे तक अंतराल)

(सभापति महोदय (श्री देवजी पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री संतराम नेताम, केशव चंद्रा, श्रीमती चम्पादेवी पावले, श्री उमेश पटेल, डॉ.विमल चोपड़ा, श्रीमती सरोजनी बंजारे, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री अवधेश सिंह चंदेल, भोलाराम साहू, श्याम बिहारी जायसवाल,

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री राजेन्द्र कुमार राय, अशोक साहू, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से माननीय मुख्यमंत्री का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

समस्त संशोधनों पर एक साथ मत लिया गया।

समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.31 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 12 मार्च, 2015 (फाल्गुन-21, शक संवत् 1936) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा